

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
अंकेक्षण अनुभाग

क्रमांक : प.17(1)वित्त/अंकेक्षण/2016

जयपुर, दिनांक 11 AUG 2017

अधिसूचना

राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को, राजस्थान रिवर बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण के लेखों के अंकेक्षण हेतु एतद् द्वारा अधिकृत करती है।


आज्ञा से,

Sd-

(सुरेन्द्र कुमार सोलंकी)
विशिष्ट शासन सचिव,
वित्त (व्यय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. आयुक्त, राजस्थान रिवर बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण, जयपुर।
3. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को अधिसूचना की चार प्रतियाँ (मय सीडी) भेजकर लेख है कि वे इसका प्रकाशन राजस्थान के असाधारण राजपत्र में शीघ्र कराने का कष्ट करें।
- ✓ 5. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर)विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


(डॉ. अरविन्द कुमार मिश्र)
संयुक्त शासन सचिव